



भारत सरकार

Government of India

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change



केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
Central Zoo Authority

मि.सं. 13-4/2006-के.चि.प्रा. (खण्ड-VIII) / 4542 / 2018

दिनांक: 10-10-2018

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी,
फ्लेट न. 118 सैक्टर/पाकेट-2,
द्वारका,
नई दिल्ली - 110 075

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना वाबत् ।


सन्दर्भ: आपके आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2018, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत।
महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके पत्र दिनांक 30.07.2018 को कार्यालय के पत्र संख्या 13-4/2017-केचिप्रा/4247/2018 दिनांक 27.08.2018 के द्वारा संयुक्त निदेशक (वन्यजीव) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यावाही करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया था। जिसकी प्रति आपके सूचना हेतु संलग्न है।

यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक महीने के अन्दर अपील कर सकते हैं:-

सदस्य सचिव, के.चि.प्रा. एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
बी-1 विंग, छवां तल,
पं. दीनदयाल अंत्योदया भवन, सी.जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

भवदीय


(रविन्द्र सिंह रावत)
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जो कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के कर्मचारी हैं से प्राप्त आवेदन पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं:-

1. संयुक्त निदेशक (वन्यजीव) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छटा तल, जल विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110 003
2. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110 003